



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1319 वर्ष 2026

मुकेश

– आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

– विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अपूर्व श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना टड़ियावां, जनपद हरदोई में पंजीकृत एफ.आई.आर. संख्या 300 वर्ष 2025, धारा 92, 115(2), 352 तथा 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचना अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया कि विचारण के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने 3 व्यक्तियों तथा 2 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् बृजीलाल और मनीष, के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। बृजीलाल और मनीष को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9622/2025 तथा 11432/2025 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि पीड़िता का बयान विचारण न्यायालय के समक्ष पहले ही दर्ज हो चुका है, इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 03.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आदेशों की छायाप्रतियाँ अभिलेख पर ले ली गई हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता द्वारा दिए गए बयान का खंडन नहीं किया। उन्होंने यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और एफ.आई.आर., पीड़िता के बयान, सह-अभियुक्त व्यक्तियों के जमानत आदेशों तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका एक समान है। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक मुकेश को वर्ष 2025 की एफ.आई.आर. संख्या 300 में व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्ष्य के लिए कोई तारीख नियत हो, उस तारीख को वह स्थगन की मांग नहीं करेगा, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi)) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की कार्यवाही प्रारंभ होने के दिन, (2) आरोप तय किए जाने के दिन, तथा (3) धारा 313 दं. प्र. सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के दिन निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय को जमानत रद्द करने के संबंध में मामले में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।